

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 2023 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961(1961का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मुख्य आयुक्त जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थान पर है, वह ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए अथवा ऐसी आयों अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा जिनके संबंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में संगत प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं ।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई	चेन्नई	आयकर आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएगी ।

[अधिसूचना सं. 285/07 फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-1]

डॉ. जगदीप गोयल, निदेशक